न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

राजस्व वाद संख्या : 98 A / 2024
निर्णय दिनांक : 22.12.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 192

दायर दिनांक – 03.09.2024

रिछपाल गुर्जर पुत्र स्व. मोहनराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम ठरड़ा सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

...............प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री महेश शर्मा एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 86 के खसरा संख्या 238 तादादी 1.3909 हैक्टेयर व खसरा संख्या 68 तादादी 2.3393 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 3.7302 हैक्टेयर वाके रोही मौजा ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी के पिता मोहनराम के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम लिछमणराम पुत्र मोहन के नाम खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम रिछपाल गुर्जर पुत्र मोहन राम है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम लिछमणराम पुत्र मोहन जाति गुर्जर निवासी ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम रिछपाल गुर्जर पुत्र मोहन राम जाति गुर्जर है। लिछमणराम व रिछपाल गुर्जर दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लिछमणराम पुत्र मोहन के स्थान पर रिछपाल गुर्जर पुत्र मोहन राम किया जाना उचित है।

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
सुजानगढ़

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र राशन कार्ड की प्रति, बिजल का बिल, बैक की पास बुक, ग्राम पंचायत का पहचान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम रिछपाल गुर्जर पुत्र मोहन राम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 86 के खसरा संख्या 238 तादादी 1.3909 हैक्टेयर व खसरा संख्या 68 तादादी 2.3393 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 3.7302 हैक्टेयर वाके रोही मौजा ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम लिछमणराम पुत्र मोहन जाति गुर्जर निवासी ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ खातेदार के स्थान पर रिछपाल गुर्जर पुत्र मोहनराम जाति गुर्जर निवासी ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इबतदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ दिनांक 22.12.2024

रिछपाल गुर्जर बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 98 A सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री महेश शर्मा एड. मिनजानिब मुद्दई मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत मे अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 86 के खसरा संख्या 238 तादादी 1.3909 हैक्टेयर व खसरा संख्या 68 तादादी 2.3393 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 3.7302 हैक्टेयर वाके रोही मौजा ठरडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम लिछमणराम पुत्र मोहन जाति गुर्जर निवासी ठरडा तहसील सुजानगढ खातेदार के स्थान पर रिछपाल गुर्जर पुत्र मोहनराम जाति गुर्जर निवासी ठरडा तहसील सुजानगढ खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 22 माह 12. 2024**

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये